कृषि विभाग, बिहार सरकार

Version 1.0

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आवेदन के लिए आवश्यक निर्देश एवं जानकारी

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से कृषि विभाग के अनुदान योजनाओं की प्राप्ति के लिए किसान अपने नजदीकी CSC/SAHAJ (वसुधा केंद्र) से संपर्क कर सकते हैं अथवा www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन करेंगे।
- पंजीकरण अथवा आवेदन के लिए किसान के पास वैध आधार संख्या और बैंक अकाउंट होना जरूरी है।

ऑनलाइन पंजीकरण की विधि:

1. आवेदक/किसान इंटरनेट ब्राउज़र पर यूआरएल www.dbtagriculture.bihar.gov.in टाइप कर वैबसाइट पर उपलब्ध **"नया पंजीकरण"** मेनू पर क्लिक करेंगे।
2. आवेदक से आधार संख्या उप्लभ्धता की जानकारी हाँ/नहीं में ली जाएगी। आधार संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वैबसाइट आवेदक को उनके नजदीकी आधार पंजीकरण केंद्र की जानकारी उपलब्ध कराएगी। आधार संख्या उपलब्धता की स्थिति में आवेदक के आधार संख्या एवं अन्य जानकारी का सत्यापन Biometric Authentication द्वारा किया जाएगा।
3. सत्यापन सही पाये जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा दी गयी अन्य अनिवार्य जानकारियों को CSC/SAHAJ के ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन भरा जाएगा। CSC/SAHAJ के ऑपरेटर द्वारा पंजीकरण की स्थिति में VLE code अंकित करना अनिवार्य होगा।
4. पंजीकरण आवेदन में पूछे गए जानकारियों की प्रविस्टी के बाद आवेदक "REGISTER" बटन पर क्लिक करेंगे। आवेदक द्वारा सही सही जानकारी दिये जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा दिये गए मोबाइल नंबर पर " Registration Success" का SMS alert एवं साथ ही साथ पंजीकरण पावती भी दी जाएगी। SMS alert/पंजीकरण पावती में 13 अंकों का पंजीकरण संख्या अंकित होगा जिसे आवेदक द्वारा सुरक्छित रखना अनिवार्य होगा।
5. प्राप्त किए गए पंजीकरण संख्या से ही किसान अनुदान योजनाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे।

ऑनलाइन आवेदन की विधि:

1. आवेदक/किसान इंटरनेट ब्राउज़र पर यूआरएल www.dbtagriculture.bihar.gov.in टाइप कर वैबसाइट पर उपलब्ध **"अनुदान के लिए आवेदन"** मेनू पर क्लिक करेंगे।
2. अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ साथ आवेदन प्रपत्र " Display" किया जाएगा।
3. पंजीकरण आवेदन मे त्रुटि पाये जाने की स्थिति में आवेदक www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध **"विवरण संपादित"** मेनू पर क्लिक कर दिये गए पंजीकरण विवरण संपादित कर पायेंगे। विवरण संपादित करने का मौका आवेदक को सिर्फ एक बार ही दिया जाएगा।

4. 13 अंकों की पंजीकरण संख्या के माध्यम से आवेदक ऑनलाइन अनुदान आवेदन में माँगे गए विवरण अंकित कर सकेंगे।
5. आवेदक द्वारा विवरण संपादित/अंकित करने के उपरांत आवेदक “SUBMIT” बटन पर क्लिक करेंगे। तत्पस्चात आवेदक को आवेदन संख्या एवं अन्य जानकारी SMS के माध्यम से आवेदक द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। साथ ही साथ इसकी सूचना SMS के माध्यम से आवेदक के पंचायत के अनुसार उसी पंचायत के “Agriculture Coordinator” को सत्यापन के लिए भी दी जाएगी।
6. आवेदक www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध “आवेदन प्रिन्ट करें” को क्लिक कर जमा किए गए आवेदन की पावती, पंजीकरण संख्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

पंचायत स्तर पर आवेदन सत्यापन की विधि:

1. पंचायत स्तर पर कार्यरत सभी “ Agriculture Coordinator” को USER ID और PASSWORD दिया जाएगा जिसके माध्यम से Coordinator www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन करेंगे।
2. Coordinator के लॉगिन अकाउंट मे उनके पंचायत के किसान द्वारा जमा किए गए आवेदन Display किए जायेंगे जो Coordinator द्वारा सत्यापित किया जाएगा। आवेदन का सत्यापन कृषि विभाग द्वारा समय समय पर दिये गए आवश्यक निर्देश के अनुरूप किया जाएगा।
3. आवेदन के सत्यापन के लिए Coordinator को 72 घंटे का समय दिया जाएगा अन्यथा इसकी सूचना DAO को SMS के माध्यम से की जाएगी। आवेदन जमा के समय से 72 घंटे पश्चात Coordinator सत्यापन के लिए जमा किए गए आवेदन पर कोई भी कार्यवाई नहीं कर सकेंगे एवं वैसे आवेदनों को DAO स्तर से सत्यापित/अनुशंसित किया जाएगा।
4. Coordinator द्वारा सत्यापन मे गड़बड़ी पाये जाने की स्थिति में आवेदक भविष्य में DAO स्तर पर अपील कर सकेंगे।
5. आवेदक एवं आवेदन में दिये गए जानकारी सही पाये जाने की स्थिति में Coordinator आवेदन को आवश्यक टिप्पणी के साथ DAO स्तर पर “SUBMIT” बटन क्लिक कर अनुशंसित करेंगे जिसकी सूचना आवेदक और DAO को SMS के माध्यम से की जाएगी।
6. आवेदन मे त्रुटि पाये जाने की स्थिति में “Coordinator” आवश्यक टिप्पणी के साथ आवेदन रद्द करेंगे जिसकी सूचना आवेदक को SMS के माध्यम से की जाएगी और इसकी जानकारी DAO को ऑनलाइन दी जाएगी। आवेदन रद्द होने की स्थिति में आवेदक को फिर से सही आवेदन देना अनिवार्य होगा।

ज़िला स्तर पर आवेदन सत्यापन/अनुशंसा की विधि:

1. ज़िला स्तर पर कार्यरत सभी “DAO” को USER ID और PASSWORD दिया जाएगा जिसके माध्यम से DAO www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर लॉगिन कर Coordinator द्वारा सत्यापित ऑनलाइन आवेदन को अनुशंसित करेंगे।

2. DAO के लॉगिन अकाउंट मे उनके पंचायत के Coordinator द्वारा सत्यापित किए गए आवेदन Display किए जायेंगे जो DAO द्वारा अनुशंसित किया जाएगा। आवेदन का अनुशंसा कृषि विभाग द्वारा समय समय पर दिये गए आवश्यक निर्देश के अनुरूप किया जाएगा।
3. आवेदन के सत्यापन के लिए DAO को 24 घंटे का समय दिया जाएगा अन्यथा इसकी सूचना State/कृषि विभाग को SMS के माध्यम से की जाएगी। आवेदन जमा के समय से 24 घंटे पश्चात DAO अनुशंसा के लिए जमा किए गए आवेदन पर कोई भी कार्यवाई नहीं कर सकेंगे एवं वैसे आवेदनों का Pending List कृषि विभाग को ऑनलाइन सूचित किया जाएगा।
4. DAO द्वारा अनुशंसा में गड़बड़ी पाये जाने की स्थिति में आवेदक भविष्य में स्टेट/कृषि विभाग स्तर पर अपील कर सकेंगे।
5. आवेदक एवं आवेदन में दिये गए जानकारी सही पाये जाने की स्थिति में DAO आवेदन को आवश्यक टिप्पणी के साथ “SUBMIT” बटन क्लिक कर अनुशंसित करेंगे जिसकी सूचना आवेदक और Coordinator को SMS के माध्यम से की जाएगी और अनुशंसित आवेदन का सूची State/कृषि विभाग स्तर पर ऑनलाइन भेजी जाएगी।
6. DAO स्तर पर अनुशंसा के समय e-Sign की सुविधा भविष्य में दी जाएगी जो सत्यापित आवेदनों को अनुशंसित करने के लिए अनिवार्य होगा।
7. सत्यापित आवेदन मे त्रुटि पाये जाने की स्थिति में “DAO” आवश्यक टिप्पणी के साथ आवेदन रद्द करेंगे जिसकी सूचना आवेदक को SMS के माध्यम से की जाएगी और इसकी जानकारी Coordinator को ऑनलाइन दी जाएगी। आवेदन रद्द होने की स्थिति में आवेदक को फिर से सही आवेदन देना अनिवार्य होगा।

इनपुट अनुदान प्राप्ति की विधि:

- DAO स्तर पर अनुशंसा के उपरांत आवेदक को e-Wallet खाता संख्या, कुल अनुदान राशि एवं अन्य जानकारी आवेदक के पंजीकृत मोबाइल संख्या पर भेजी जाएगी।
- DAO स्तर पर अनुशंसा के उपरांत आवेदक अपना पंजीकरण पावती, आधार संख्या और पंजीकृत मोबाइल/मोबाइल नंबर के साथ अपने प्रखंड/पंचायत स्तर पर उपलब्ध पंजीकृत विक्रेता से अनुदान का लाभ ले सकते हैं।
- अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदक को विक्रेता स्तर पर पावती और पंजीकृत मोबाइल ले जाना अनिवार्य होगा।
- अनुदान प्राप्ति के लिए विक्रेता द्वारा आवेदक के मोबाइल संख्या पर OTP दिया जाएगा जिसके माध्यम से आवेदक विक्रेता से आवश्यक कृषि इनपुट उपलब्ध e-Wallet राशि के अनुरूप बिना नकद खरीद सकते हैं।